न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – मुकेश बारेठ, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 11/2019
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. देवेन्द्र पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति जाट निवासी तताररसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)। .....वादीगण

व ना म

1. कृष्ण लाल पुत्र श्री रामचन्द जाति जाट निवासी तताररसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. विजेन्द्र पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति जाट साकिन तताररसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. अंजू पुत्री श्री कृष्ण लाल जाति जाट निवासी तताररसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।
5. शाखा प्रबंधक श्रीगंगानगर सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 श्रीगंगानगर।
6. श्रीमती चन्द्रकला पत्नी श्री कृष्ण लाल जाति जाट निवासी तताररसर तह0 व जिला श्रीगंगानगर।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री संजय जनवेजा (वादीगण)
श्री रोबिन गुम्बर (प्रतिवादी–1,2,3,6)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–4)

दिनांक 26 दिसम्बर 2019

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादी गांव तताररसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का स्थाई निवासी है। वादी का पेशा खेती है तथा वादी का रजिस्टर्ड पता वही है, जो कि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 14 (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित है तथा वादपत्र के शीर्षक में अंकित है। वाद पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र संलग्न है तथा वाद पत्र 2 प्रतियों में प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है, प्रतिवादी संख्या 2 वादी का भाई व प्रतिवादी संख्या 3 वादी की सगी बहिन हैं। वादी के पिता श्री कृष्ण लाल के नाम से वाके चक 11 एल एल तह. श्रीगंगानगर के खाता संख्या 17 के मुरब्बा नम्बर 40 की कुल 2.910 है0 नहरी खाला कृषि भूमि व इयी चक 11 एल एल के खाता संख्या 57 के मुरब्बा नम्बर 50की 5.945 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। उक्त समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति व पैतृक सम्पत्ति की आय से अर्जित सम्पत्ति है, जो कि पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में आती है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। वादी के पिता की वंशावली निम्नानुसार है:–

कृष्ण लाल (प्रति0 सं. 1)
|
अन्जू विजेन्द्र देवेन्द्र

उक्त वर्णित कृषि भूमि पैतृक जायदाद होने के कारण उक्त वर्णित पैतृक सम्पत्ति में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक बनता है। प्रतिवादी संख्या 3 का वादी से बहुत स्नेह व लगाव है तथा उसने अपना हिस्सा का मौखिक रूप से हक परित्याग किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी उक्त भूमि का घरू मौखिक बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के साथ किया हुआ है तथा उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को बांट की दी हुई है। मौका पर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

0.253 है0 कुल 1.771 है0 भूमि का एवं प्रति0 सं0 6 चन्द्रकला को चक 11 एल एल के खाता सं0 17 के मु0 नं0 40 के किला नं0 8/2 की 0.127 है0, 9 ता 12 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 1.139 है0 भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर रिकार्ड माल में अंकन करवाया जावे। प्रति0 सं0 3 अपनी पैतृक भूमि में से कोई हक वा हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपने हिस्सा का हक परित्याग करती है। अतः उक्त वर्णित अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया जावे तो पक्षकारान को कोई एतराज ना होगा। प्रथम पक्षकारान एवं द्वितीय पक्षकारान आपसी सहमति से उक्त राजीनामा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है। उक्त राजीनामा से दोनो पक्षकार सहमत है।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस का मनन किया गया।

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझोता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझोता को अधिक महत्व दिया गया है।

आदेश

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 23 दिसम्बर 2019 के अनुसार वादी देवेन्द्र कुमार को चक 11 एल एल के खाता सं0 17 के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 13, 18 ता 23 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 1.771 है0 भूमि का, एवं प्रति0सं0 2 विजेन्द्र को चक 11 एल एल के खाता सं0 57 के मु0न0 50 के किला न0 18 की 0.051 (कि0 न0 19 के साथ चिपती), 19 की 0.253 है0, 20 की 0.228 है0, 21 की 0.227 है0, 22 ता 25 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 1.771 है0 भूमि का एवं प्रति0 सं0 6 चन्द्रकला को चक 11 एल एल के खाता सं0 17 के मु0 नं0 40 के किला नं0 8/2 की 0.127 है0, 9 ता 12 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 1.139 है0 भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रति0 सं0 3 अपनी पैतृक भूमि में से कोई हक वा हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपने हिस्सा का हक परित्याग करती है। परन्तु समस्त भूमि भार मुक्त होने की स्थिति पर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कि जावें। यथा डिक्री जारी हो।

आदेश अधिवक्तागण की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को जारी किया गया।

मुकेश बारैठ
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर